राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांकःप.9(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2012 /454 जयपुर, दिनांक : 18अक्टूबर, 2019

परिपत्र

विषय :– राजकीय व्यय में मितव्ययता।

वित्त विभाग द्वारा समय समय पर राजकीय व्यय के विनियमन के लिए मितव्ययता परिपत्रों के माध्यम से दिशा–निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य सरकार की कार्यकारी कुशलता से किसी भी प्रकार का समझौता किये बिना वित्तीय अनुशासन को बनाये रखना रहा है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राजकीय व्यय के विनियमन के लिए जारी मितव्ययता परिपत्र प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2010 दिनांक 30.06.2010 (यथा संशोधित) की निरन्तरता में निम्नांकित दिशा–निर्देश तुरंत प्रभाव से जारी किये जाते हैं:–

1– <u>स्वीकृत बजट प्रावधान की सीमा की अनुपालनाः–</u>

(i) लोक वित्तीय प्रबन्धन की दृष्टि से वित्तीय वर्ष के दौरान राजकीय व्यय की समान गति बनायें रखना अत्यन्त आवश्यक है। अतः विभागों द्वारा संबंधित बजट मदों के अन्तर्गत किये गये बजट प्रावधानों का वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह में समानुपाती व्यय सुनिश्चित किया जावे।

(ii) वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने एवं संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी भी लेखा शीर्ष में बजट नियंत्रण अधिकारियों को अतिरिक्त बजट आवंटन (Additional Authorisation) केवल पुनर्विनियोजन (Reappropriation) अथवा अनुपूरक अनुदान (Supplementary Demand) के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जा सकता है। अतः तात्कालिक आवश्यकता/अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर पुनर्विनियोजन हेतु बजट नियमावली के प्रावधान के अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति ली जावे।

(iii) केन्द्रीय सहायता से चलने वाली योजनाओं में भारत सरकार से राशि प्राप्त हो जाने के पश्चात ही केन्द्रीय सहायता एवं राज्य निधि मद में प्रावधित राशि व्यय की जावे।

(iv) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार सभी प्रशासनिक विभागों/बजट नियंत्रण अधिकारियों से यह सुनिश्चित किया जाना भी अपेक्षित है कि निधियों को तभी आहरित किया जायें जब भुगतान करने की आवश्यकता हो। बजट अनुदान को व्ययप्गत (Lapse) होने से बचाने की दृष्टि से निधियों को आहरित कर उन्हें लोक लेखे या बैंक में जमा नहीं किया जावे।

2— <u>नवीन पदों का सृजनः—</u>

बजट घोषणाओं, मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं की क्रियान्विति के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के नवीन पदों के सृजन पर प्रतिबंध रहेगा।

3— <u>नवीन सृजित पदों, क्रमोन्नत पदों तथा रिक्त पदों पर नियुक्तिः—</u>

(i) नवीन सृजित पदों, क्रमोन्नत पदों तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टाफ सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 (रेप्सर एक्ट) की पालना सुनिश्चित करते हुये वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की पूर्व सहमति से की जा सकेगीं।

(ii) दिनांक 01.04.2019 के पश्चात् सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों, बजट घोषणाओं/वित्त विभाग की सहमति से नवसृजित पदों पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित राजकीय विभाग सेवा नियमानुसार नियुक्ति कर सकेंगे और चरणबद्ध तरीके से भर्ती की कार्ययोजना तैयार करेंगे जिससे किसी भी कार्मिक/अधिकारी के पद रिक्त होने पर कार्मिक उपलब्ध हो सके।

(iii) मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों एवं विशेष योग्यजन के लिए सेवा नियमों के अनुसार आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

4— <u>राजकीय भवन निर्माण</u> :—

(i) नवीन भवन निर्माण कार्य, भवन परिवर्धन तथा भवन मरम्मत कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिपत्र क्रमांक (184)SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.7.2009 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(ii) अन्य निर्माण कार्यों से संबंधित विभाग यथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग, वन विभाग इत्यादि कार्यान्वयन में मितव्ययता बरतेंगे और अपने स्तर से निर्माण कार्यों में मितव्ययता बरतने संबंधी आवश्यक दिशा—निर्देश भी जारी किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5— <u>नये वित्तीय दायित्वों का सृजन</u> :—

बजट घोषणाओं, मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं, वित्त विभाग से अनुमोदित योजनाओं तथा न्यायालय आदेशों की क्रियान्विति को छोड़कर बिना वित्त विभाग की सहमति के विभागों द्वारा नये वित्तीय दायित्व सृजित नहीं किये जायेंगे।

6— <u>परिपत्र की प्रभावशीलता एवं क्षेत्राधिकार</u> :—

(i) उपर्युक्त दिशा—निर्देश राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स, समस्त विश्वविद्यालयों, अनुदानित संस्थाओं, निकायों एवं राज्य सरकार पर वित्तीय दृष्टि से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निर्भर सभी संस्थाओं पर भी लागू होंगे।

(ii) राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स एवं निकायों में रिक्त पदों पर नियुक्ति, पदों के सृजन एवं क्रमोन्नयन आदि प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य मामलों में यदि अपरिहार्य कारणों से शिथिलता आवश्यक हो तो उस पर संबंधित संचालक मण्डल निर्णय ले सकेगा।

(iii) राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य निर्वाचन आयोग, विधान सभा तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग पर यह परिपत्र प्रभावी नहीं होगा।

अतिआवश्यक प्रकरणों में वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन से उक्त प्रतिबंधों में शिथिलन दिया जा सकेगा।

(निरंजन आर्य)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

क्रमांक: डीसी/लेखा/ 2019–20/ 1154 दिनांक:–

प्रतिलिपि :–

1. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान को अनुपालना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. प्रभारी सर्वर रूम को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान जयपुर

Scanned by CamScanner